अति महत्वपूर्ण

संख्याः 2498ईजी/23-5-13-50(71)ईजी/04

30

प्रेषक,

डा0 हरिओम,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक : 21 जनवरी, 2014

विषयः लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवनों एवं विश्राम गृहों हेतु संशोधित दरों पर किराया वसूल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवनों एवं विश्राम गृहों का किराया कार्यालय-ज्ञाप संख्या-260ईजी/23-5-13-50(71)ईजी/04, दिनांक 18.03.2013 द्वारा पुनर्निर्धारित किया गया है।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी संशोधित/पुनरीक्षित दरों पर किराया वसूल नही किया जा रहा है, जिससे राजस्व की भारी क्षति हो रही है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कर-करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 0216(आवास) के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति न होने के कारण शासन के पत्र संख्या-1796ईजी/23-5-13-50(71)ईजी/04, दिनांक 09.12.2013 द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.03.2013 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवनों एवं विश्राम गृहों में ठहरने वाले आगन्तुकों से संशोधित दरों के अनुसार किराया वसूल किये जाने हेतु पुनः निर्देश दिये गये हैं।

157G
23-1-14

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18.03.2013 द्वारा निरीक्षण भवनों एवं विश्राम गृहों के पुनर्निर्धारित दरों पर किराया वसूल किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान पुनः आकृष्ट किया जाता है :-

(1) सरकारी अधिकारियों से ड्यूटी पर 07 दिन तक निरीक्षण भवनों/विश्राम गृहों में अवस्थान करने हेतु बिजली शुल्क सहित रू0 45.00 के स्थान पर **रू0 120.00 (ए0सी0)** एवं **रू0 60.00 (नान ए0सी0)** किराया पुनर्निर्धारित किया गया है।

(2) सरकारी अधिकारियों से ड्यूटी पर 07 दिन से अधिक ठहरने पर निरीक्षण भवनों/विश्राम गृहों में अवस्थान करने हेतु बिजली शुल्क सहित रू0 75.00 के स्थान पर **रू0 180.00 (ए0सी0)** एवं **रू0 100.00 (नान ए0सी0)** किराया पुनर्निर्धारित किया गया है।

मुख्य अभि० (भवन)
सं० 76 दिनांक 21/01/14
SE 10th

मुख्य अभियन्ता (भवन)
लो०नि०वि०, लखनऊ

21-1-14

21 JAN 2014

..../02..

(3) सरकारी अधिकारियों के निजी कार्य से 07 दिन तक ठहरने हेतु बिजली शुल्क सहित रू0 135.00 के स्थान पर **रू0 260.00 (ए0सी0) एवं रू0 180.00 (नान ए0सी0)** किराया पुनर्निर्धारित किया गया है।

(4) सरकारी अधिकारियों के निजी कार्य से 07 दिन से अधिक ठहरने हेतु बिजली शुल्क सहित रू0 155.00 के स्थान पर **रू0 310.00 (ए0सी0) एवं रू0 220.00 (नान ए0सी0)** किराया पुनर्निर्धारित किया गया है।

(5) पर्यटकों एवं प्राईवेट व्यक्तियों से बिजली शुल्क सहित रू0 215.00 प्रतिदिन के स्थान पर **रू0 460.00 (ए0सी0) एवं रू0 220.00 (नान ए0सी0)** किराया पुनर्निर्धारित किया गया है।

(6) विदेशी पर्यटकों से बिजली शुल्क सहित रू0 215.00 प्रतिदिन के स्थान पर **रू0 660.00 (ए0सी0) एवं रू0 420.00 (नान ए0सी0)** किराया पुनर्निर्धारित किया गया है।

(7) उ0प्र0 के निगमों/स्वा0 संस्थाओं के अधिकारियों से बिजली शुल्क सहित रू0 135.00 प्रतिदिन के स्थान पर **रू0 260.00 (ए0सी0) एवं रू0 180.00 (नान ए0सी0)** किराया पुनर्निर्धारित किया गया है।

(8) भारत सरकार के अधिकारियों से 07 दिन तक ठहरने हेतु बिजली शुल्क सहित रू0 75.00 के स्थान पर **रू0 260.00 (ए0सी0) एवं रू0 180.00 (नान ए0सी0)** किराया पुनर्निर्धारित किया गया है।

(9) भारत सरकार के अधिकारियों से 07 दिन से अधिक ठहरने हेतु बिजली शुल्क सहित रू0 75.00 के स्थान पर **रू0 460.00 (ए0सी0) एवं रू0 340.00 (नान ए0सी0)** किराया पुनर्निर्धारित किया गया है।

(10) अन्य राज्य के अधिकारियों से (यदि इस सम्बन्ध में कोई पारस्परिक व्यवस्था हो तो एक ही वर्ग माना जाय), बिजली शुल्क सहित रू0 135.00 के स्थान पर **रू0 260.00 (ए0सी0) एवं रू0 180.00 (नान ए0सी0)** किराया पुनर्निर्धारित किया गया है।

(11) भारत गणराज्य तथा अन्य प्रदेश के सरकारी निगमों/उपक्रमों के अधिकारी/कर्मचारी से बिजली शुल्क सहित रू0 135.00 के स्थान पर **रू0 260.00 (ए0सी0) एवं रू0 180.00 (नान ए0सी0)** किराया पुनर्निर्धारित किया गया है।

(12) प्रत्येक सरकारी अधिकारी या रियायती दर पर रूकने के लिये अर्ह अन्य व्यक्ति 07 दिन पूर्ण करने के पश्चात उसी निरीक्षण गृह में पुनः 03 दिन के पश्चात रूकने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 18.03.2013 में दी गई है। यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को 07 दिन के पश्चात निरन्तर रूकने की अनुमति न मिले।

4— कृपया उपर्युक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 हरिओम)
सचिव

..../03..

संख्या–2498(1)ईजी / 23–5–2013–तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग,उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख अभियन्ता(विकास)एवं विभागाध्यक्ष / प्रमुख अभियन्ता(परि0 / नियो0) लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभि0(भवन) लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. सिंचाई अनुभाग–8 / वन अनुभाग–3

आज्ञा से,

(सरोज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव

सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (भवन)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या- 157जी/9 बीपी-निरी/2014 दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता क्षेत्र, लो०नि०वि०

को इस आशय से प्रेषित शासन के निर्देशानुसार निरीक्षण भवनों / विश्रामगृहों के संशोधित किराये की वसूली हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से पालन किया जाये।

24/1/14

(राजीव स्वामी)
अधीक्षण अभियन्ता (भवन)
लो०नि०वि०, लखनऊ